संख्या:295/2024/1382/35-4-2024/35-4099/162/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2024

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कतिपय कार्यो के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश सं0-110/2023/1631/35-4-2022/1311/35-4-2022, दिनांक 20.02.2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 121 कार्यों की रू. 3861.93 लाख लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या-606/त्व0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 12 सितम्बर, 2024 द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश से स्वीकृत कार्यों में से शासनादेश के क्रमांक 13 एवं 14 पर अंकित कार्य अन्य योजना से स्वीकृत होने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। एतद्द्वारा उक्त कार्यों की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

(रू. लाख में)

स्वीकृति संबंधी शासनादेश एवं दिनांक	सन्दर्भित शासनादेश का क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
110/2023/1631/35-4-2022/1311/35-4-2022, दिनांक 20.02.2023	13	वार्ड सं0 06 चरगावां में श्री कृष्णपुरम् कालोनी में ए0के0 शुक्ला, वैभव राय से कैलाश चन्द्र एम0पी0 अम्बर से राजेन्द्र एवं अन्य गली में आर0सी0सी0 नाली सी0सी0 सड़क व इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	24.98	24.98
	14	वार्ड सं0 06 चरगावां में श्री कृष्णपुरम् कालोनी में उमा प्रिया सदन से शान्ती भवन, संजीव श्रीवास्तव, आनन्द पाठक एवं अन्य गली में आर0सी0सी0 नाली सी0सी0 सड़क व पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	41.86	41.86
		योग	**66.84**	**66.84**

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:295/2024/1382(1)/35-4-2024/35-4099/162/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।